



160/25

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)
(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर-2025 कैम्प कोर्ट)


कैम्प कोर्ट का स्थान बालाडा

दिनांक :- 27/09/25

-:: आदेश ::-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी बालाडा
भू-अभिलेख निरीक्षक निम्नोद्देश की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासनकी अनुशंघा के आधार पर राजस्व
भू- राजस्वअधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम अरतीजा तहसील कपासन
चित्तौड़गढ़की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 142
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद का
आदेश दिये जाते हैं :-


क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	अरतीजा	142	रामलाल पुत्र चतरभुज चमार शेष- जमा- बदस्तूर	रामलाल पुत्र चतरभुज जरिया शेष- जमा- बदस्तूर


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
कपासन जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक 27/09/25

क्रमांक / रा.न.स. / 2025 / 160

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, कपासन को भेज कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद का आदेश किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रामलाल पुत्र चतरभुज जरिया को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


पीठासीन अधिकारी
सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़